Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक–1455 / 01याता0'क' / 18 दिनांक–17.10.2019

"कार्यालय आदेश"

वर्तमान में विभिन्न खण्डों से गतिमान कार्यों के विरूद्ध समयवृद्धि प्रकरण क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के माध्यम से स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को GPW-9 के Clause-7 के अन्तर्गत भैजे जा रहें हैं, जिनका अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि प्रायः सभी प्रकरणों में व्यवधान का कारण वर्षाकाल, अत्यधिक ठण्ड, संमरेखण विवाद, क्वैरी बन्द होना एवं श्रमिकों का न मिल पाना आदि दर्शाये जाते हैं। इन कारणों को औचित्यपूर्ण ठहराते हुए प्रकरण संस्तुति हेतु न्यून क्षतिपूर्ति, उदाहरणार्थ 0.01 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत आरोपित की जा रही हैं।

अतः समयवृद्धि प्रकरणों को प्रेषित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रकरण के साथ औचित्यपूर्ण प्रमाण संलग्न हो। जितनी अवधि हेतु औचित्पूर्ण प्रमाण संलग्न हो उक्त अवधि हेतु क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अनौचित्यपूर्ण अवधि (Unjustfied Time) हेतु क्षतिपूर्ति की गणना करते हुए संस्तुत किये जांय, जिसे GPW-9 के Clause-4 अथवा (Unjustified Time/Total Time X Cost or work) का 10% क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड की गणना कर क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की संस्तुति सहित प्रेषित किया जाय। जिन कार्यों के अनुबन्ध S.B.D अथवा त्रुटिवश दोनों अर्थात G.P.W-9 एवं S.B.D के अन्तर्गत गठित किये गये हैं,के कार्यों में समयवृद्धि S.B.D के Clause-26 के अन्तर्गत ही सम्बन्धित इंजिनियर द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे, ऐसे प्रकरणों को इस कार्यालय को प्रेषित न किये जांय।

ह0/–
(हरिओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य अभियन्ता (मु0) विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0,देहरादून
2– समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0,....................उत्तराखण्ड।
3– समस्त अधीक्षण अभियन्ता,..................वाँ वृत्त, लो0नि0वि0,.......................उत्तराखण्ड।
4– वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर–।/।।/अधिष्ठान विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0,देहरादून।
5– समस्त अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय,लो0नि0वि0, देहरादून।
6– समस्त अधिशासी अभियन्ता,...............लो0नि0वि0,.......................उत्तराखण्ड।
7– अधिशासी अभियन्ता,(आई0टी0)विभागाध्यक्ष, कार्यालय,लो0नि0वि0, देहरादून को वैबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी–।/।। विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

17/10/19
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
17/10/2019

महत्वपूर्ण / गंभ धारा
Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: cepwdua@gmail.com

पत्रांक– 927/144 याता0'क'/2019 दिनांक– 14 .10.2019

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता (सिविल)
लोक निर्माण विभाग
पौड़ी/टिहरी/देहरादून/अल्मोड़ा/
हल्द्वानी/पिथौरागढ़।

समस्त अधीक्षण अभियन्ता(सिविल)
लोक निर्माण विभाग.........................
उत्तराखण्ड ।

विषयः– **उत्तराखण्ड के समस्त शहीदों के नाम से प्रदेश की सड़कों का नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **शासकीय पत्रांक–3105/III(2)/19–23 (सामान्य)/2019 दिनांक–07.08.2019 एवं इस कार्यालय के पत्रांक–1110/01 याता0क/2018 दिनांक–30.09.2019।**

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त शहीदों के नाम से प्रदेश की सड़कों का नामकरण सम्बन्धी औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संस्तुति सहित एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासकीय पत्र संख्याः–3820/III(2)/23(सामान्य)/ 2019 दिनांक–01.10.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि विभिन्न सरकारी सस्थाओं यथा विद्यालयं/ महाविद्यालय/उद्यान (पार्क)/सड़क आदि के नाम आजादी के अमर शहीदों/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में शहीद सेना के कार्मिकों के नाम से किये जाने हेतु सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः–50/XVII–514(07)/2015 दिनांक–15.01.2016 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक तत्काल आहूत कर वांछित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए इस कार्यालय स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एवं की गई पृच्छानुसार उत्तराखण्ड के समस्त शहीदों के नाम से प्रदेश की सड़कों का नामकरण किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव गठन किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। साथ ही अधीनस्थ अधिशासी अभियन्ताओं को अपने स्तर से भी आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें ।

संलग्नः–पत्रानुसार।

9/10
(हरिओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव लोक निर्माण अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–समस्त अधिशासी अभियन्ताओं लो0नि0वि0...................................उत्तराखण्ड को उक्त वर्णित पत्रों की प्रति सहित उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
संलग्न- यथोपरि ।

9/10
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
03/10/2019

उत्तराचल शासन

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव

सं0: 3820/ 111(2)/23(सामान्य)/2019
दिनांक : 01 अक्टूबर, 2019

अवगत कराना है कि शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड के समस्त शहीदों के नाम से प्रदेश की सड़कों का नामकरण किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा शहीदों के नाम से सड़कों का नामकरण राज्य गठन की तिथि 9 नवम्बर, 2019 को किया जाना प्रस्तावित हैं।

2— उक्त के सम्बन्ध में लोक निर्माण अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 7 अगस्त, 2019 एवं प्रथम अनुस्मारक पत्र दिनांक 26 सितम्बर, 2019 द्वारा आपसे शहीदों के नाम से प्रदेश की सड़कों का नामकरण किए जाने सम्बन्धी संस्तुति सहित प्रस्ताव दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु वांछित प्रस्ताव वर्तमान तक शासन में अप्राप्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपना व्यक्तिगत ध्यान देते हुए राज्य में विभिन्न सरकारी संस्थाओं यथा–विद्यालय/महाविद्यालय/उद्यान (पार्क)/सड़क आदि के नाम आजादी के अमर शहीदों/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में शहीद सेना के कार्मिकों के नाम से किए जाने हेतु सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 50/XVII–5/15–14(07)/2015 दिनांक 15 जनवरी, 2016 द्वारा आपकी अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक तत्काल आहूत कर वांछित प्रस्ताव अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवनिष्ठ,

(उत्पल कुमार सिंह)

समस्त जिलाधिकारी (नाम से)
उत्तराखण्ड।

पृष्ठांकन संख्या : 3820 / ।।।(2)/23(सामान्य)/2019 तद्‌दिनांक :

मैं उपरोक्त की एक प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूँ।

भवनिष्ठ

(ओम प्रकाश)

1. श्री हरिओम शर्मा,
   प्र0 प्रमुख अभियन्ता,
   लोक निर्माण विभाग,
   उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. ब्रिगेडियर के0बी0 चंद,
   निदेशक,
   सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास,
   उत्तराखण्ड, देहरादून।